

न्यायालय जिला कलेक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:- 12/91/2018

अपीलार्थी:-

प्रत्यर्थी:-

शुभराम पुत्र रामचन्द्र निवासी ग्राम कारोडा तहसील बहरोड जिला अलवर लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति० जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

---:: निर्णय ::---

दिनांक:- **31-07-2018**

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा-6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 04.06.2018 के माध्यम से पूर्व में जिला कलेक्टर महोदय अलवर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2018 के संबंध में आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वाँछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 31.07.2018 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ।
5. पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1846 दिनांक 20.07.18 के माध्यम से जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त प्रा०पत्र दिनांक 04.06.2018 के संबंध में लोक सूचना अधिकारी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, द्वितीय कोर्ट प्रकोष्ठ को यू.ओ. नोट संख्या 122 दिनांक 11.06.18 के माध्यम से संबंधी बिन्दुवार सूचना चाही गई थी, उनके द्वारा आलोच्य प्रकरण में ना ही किसी प्रकार की सूचना भिजवाई गई और ना ही सूचना उपलब्ध कराने में किसी प्रकार की विशिष्टियाँ/यथोचित कारण से अवगत कराया गया है। लोक सूचना अधिकारी ने प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचना नहीं दी गई है। साथ ही प्रकरण में अपील दायर होने के बाद भी प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 में व्याप्त निर्देशों की अवेहलना की श्रेणी में आता है। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का निस्तारण नियत समय अवधि में किया जावें। लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि, यदि चाही गई सूचना देयता की श्रेणी में आती है तो नियमानुसार निःशुल्क उपलब्ध करवावें। सम्बन्धित से सूचना उपलब्ध करने में हुए विलम्ब का भी स्पष्ट कारण लिया जावें। अपील अपीलांत स्वीकार होने योग्य है।
6. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 31.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर, अलवर